

GI टैग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर

चर्चा में क्यों?

छह नए उत्पादों के साथ, उत्तर प्रदेश ने भारत में सर्वाधिक 75 **भौगोलिक संकेतक (Geographical Indication - GI) टैग** वाले उत्पादों वाले राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है।

मुख्य बटु:

- इसमें काशी की प्रसिद्धि 'तरिगी बरफी' शामिल है, जो एक तरिगे रंग की मठिई है जिसका व्यापार **भारत छोड़ो आंदोलन** में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा एक बयान देने के लिये कथिा गया था।
- उत्तर प्रदेश में प्रमाणन प्राप्त करने वाले अन्य उत्पादों में **बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेंत एवं बाँस शलिप, बरेली ज़रदोज़ी शलिप और पलिखुवा हैंड ब्लॉक प्रटि टेक्सटाइल** शामिल हैं।
 - इन छह नई वस्तुओं को शामिल करने के साथ उत्तर प्रदेश सबसे अधिक GI-टैग उत्पादों के साथ भारत का अग्रणी राज्य बना हुआ है।
 - **58 GI उत्पादों के साथ तमलिनाडु दूसरे स्थान पर है।**

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग

- **परचिय:**
 - भौगोलिक संकेत (GI) टैग, एक ऐसा नाम या चहिन है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर कथिा जाता है जो कसिी वशिषिट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधति होते हैं।
 - GI टैग यह सुनिश्चति करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रचिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है।
 - यह उत्पाद को दूसरों द्वारा नकल या अनुकरण कथि जाने से भी बचाता है।
 - एक पंजीकृत GI टैग **10 वर्षों के लिये वैध** होता है।
 - GI पंजीकरण की देखरेख वाणजिय तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन वभिाग** द्वारा की जाती है।
- **वधिकि ढाँचा तथा दायतिव:**
 - **वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजसि्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999** भारत में वस्तुओं से संबंधति भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण तथा बेहतर संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करता है।
 - यह **बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधति पहलुओं (TRIPS) पर WTO समझौते** द्वारा वनियमति एवं नरिदेशति है।
 - इसके अतरिकित **बौद्धिक संपदा के अभनि्न घटकों** के रूप में औद्योगिकि संपत्ति और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा के महत्त्व को पेरसि कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) एवं 10 में स्वीकार कथिा गया, साथ ही इस पर अधिकि बल दथिा गया है।